न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 112 / 2019

1 अब्दुल जब्बार पुत्र श्री इब्राहिम खत्री जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 3 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 कुलसुम पत्नी अब्दुल जब्बार जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 3 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 अब्दुल करीम पुत्र इब्राहिम खत्री जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 3 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 राबिया पत्नी अब्दुल करीम जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 3 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 तहसीलदार नवलगढ़ लैण्ड होल्डर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.09.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं बमुकदमा नं. 85 / 2013 उनवानी अब्दुल करीब वगै. बनाम अब्दुल जब्बार वगै. दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री नफीस अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज कुमार वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 17/11/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 85/2013 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने एक वाद घोषणार्थ, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 150, 152, 153 वाके ग्राम दुर्जनपुरा कस्बा नवलगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षो को कायम मुकाम आवेदन पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त मामले में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अब्दुल करीम की मृत्यु हो चूकी है। उक्त अब्दुल करीम के कोई औलाद नहीं थी तथा उसकी पत्नी राबीया पहले से मौजूदा अपील में रेस्पोडेन्ट सं. 2 के रूप में दर्ज है। इसलिये उक्त रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के आगे मृतक शब्द लाल स्याही से अंकित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत नाम जोड़े जाने रेस्पोडेन्ट अब्दुल करीम के कायम मुकाम पेश कर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में तारीख पेशी आज है। मामले में अपीलान्ट ने दिनांक 10.01.2025 को एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 अब्दुल करीम की मृत्यु होने पर उसका नाम उसकी औलाद नहीं होने के कारण हजफ फरमाने का प्रस्तुत किया थात था साथ में उसकी पत्नी पूर्व से मौजूदा अपील में पक्षकार होने से मृतक अब्दुल करीम के आगे मृतक शब्द लिखे जाने का आवेदन किया था। उपरोक्त उनवानी अपील में सलग्न विचारण न्यायालय की पत्रावली से आज ज्ञान हुआ है कि उक्त अब्दुल करीम के एक पत्र आसिफ अली भी है इसलिए इस मौजूदा अपील में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अब्दुल करीम के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आगे मृतक शब्द अंकित किया जावे तथा उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाने की कृपा करें। उक्त अब्दुल करीम की पत्नी राबिया बतौर रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 उक्त उनवानी अपील में पूर्व से पक्षकार है। इसलिए उसको अलग से पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021(2) पेज 1259 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूलवाद में वादी संख्या 2 राबिया की ओर से दिनांक 03.09.2021 को वादी संख्या 1 अब्दुल करीम के देहान्त पर कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसकी प्रति विचारण न्यायालय प्रतिवादीगण अपीलान्ट के अधिवक्ता को दिलवाई गई है। अपीलान्ट को अब्दुल करीम की मृत्यु की जानकारी दिनांक 03.09.2021 से ही है। इसके उपरांत भी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.08.2025 तक अब्दुल करीम के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उसके साथ धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट अब्दुल करीम की मृत्यु की जानकारी दिनांक 03.09.2021 को होने के उपरांत दिनांक 25.08.2025 तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। दिनांक 25.08.2025 को प्रस्तुत आवेदन के साथ धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विधि अनुसार 1 रेस्पोडेन्ट के विधिक वारिसान को निर्धारित समयावधि में रिकोर्ड पर नहीं लिये जाने से संपूर्ण अपील अबैट नहीं की जा सकती है किन्तु प्रकरण का निस्तारण विधिक प्रकिया अनुसार किया जाना भी आज्ञापक प्रावधान है। अतः प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट तकनिकी आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित कर नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट तकनिकी आधार पर खारिज की जातीं है एवं अपीलान्ट को विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित कर नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर